

Order Sheet

CNR NUMBER

Court of सहायक कलेक्टर (प्रायतः) जोधपुर
 Kind of the Case 212 RTI 1955
 Number of Case A/154/Year 2023
रमेश चन्द Versus नासायोराम व अन्ध

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>के दादा के फॉत होने के पश्चात अप्रार्थी सं. 01 (प्राथी के पिता), अप्रार्थी सं. 02 के नाम दर्ज हुई। दिनांक 08/12/21 को बंटवारा स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी सं. 01 के नाम ख. सं. 120/21 ^(संपूर्ण) 120/4 में 1/2 हि. आया। अतः पुरतैनी भूमि होने के कारण प्राथी का 1/7 हि. बनता है। अतः बिना विभाजन विवादित भूमि का बेचान ना हो। और प्राथी के कब्जे में परबल नहीं करे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय सति प्राथी के पक्ष में साबित होते हैं। अतः अप्रार्थी सं. 01, 02 को ताफेंसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वे बिना विधिक विभाजन ख. सं. 120/2, 120/4 के विशेष भू-भाग दर्शा कर बेचान ना करे, साथ ही विवादित 05 बीघा, 04 बिस्वा, 13 बिस्वांशी भूमि के 1/7 हि. के record की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फेंसल सुमर होकर दारिबल- दफतर हो।</p>	

Principal
 सहायक कलेक्टर
 (प्रायतः) जोधपुर

